छीन लिया जायेगा। हालत यह हो जायेगी कि 7.5 हार्सपावर के सिंचाई कनेक्शन पर किसानों को 10000 रूपए प्रति माह देने होंगे। जो संकटग्रस्त खेती से बुरी तरह प्रभावित करेगा।

साथियो,

संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए जीवन को जीने के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट के तमाम निर्णयों में हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन को देना राज्य का प्रमुख कर्तव्य माना गया है। कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण जीवन तभी जी सकता है जब राज्य उसके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क आदि जीवन के लिए जरूरी सुविधाओं को सुनिश्चित करें। 1991 के बाद लागू नई आर्थिक औद्योगिक नीतियों में पूंजी पर राज्य का नियंत्रण खत्म कर दिया गया। राज्य कल्याणकारी नीति से पीछे हट गया और सामाजिक दायित्वों से सरकारें पल्ला झाड़ने लगी। इन नीतियों ने राष्ट्रीय हितों को बेहद नुकसान पहुंचाया है। आज देश की सम्प्रभुता देशी, विदेशी कारपोरेट घरानों के हितों के लिए दावं पर लगा दी गई है। इन नीतियों के खिलाफ और देशभर में जनहितैषी क्षेत्रों में निजीकरण पर रोक लगाने के लिए विगत 10 नवम्बर 2024 को नई दिल्ली में देशभर के युवा संगठनों ने रोजगार अधिकार अभियान चलाने का फैसला किया है। इस सत्याग्रह संवाद अभियान में देश के सुपर रिच की सम्पत्ति पर समुचित टैक्स लगाकर संसाधन जुटाने और इसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व हर व्यक्ति के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करने पर खर्च करने की मांग उठाई गई है।

प्रदेश सरकार और पावर कारपोरेशन के संविधान की भावना के विरूद्ध बिजली क्षेत्र के निजीकरण के फैसले का राष्ट्रहित में विरोध बिजली के कर्मचारी से लेकर किसान और नागरिक समाज के लोग कर रहे हैं। हमारी आपसे अपील है कि आप इस जन अभियान का समर्थन करें और इसमें शामिल हों। जहां भी आप हैं इस फैसले को वापस कराने के लिए एक्स (ट्वीटर), फेसबुक, व्हॉटसएप ईमेल, चिठ्ठी आदि के जरिए सरकार तक अपने संदेश को पहुचाएं।

निवेदक

इंजीनियर दुर्गा प्रसाद
महासचिव
एआईपीएफ

दिनकर कपूर
महासचिव (संगठन)
एआईपीएफ

सम्पर्क पता : 4, माल एवेन्यु, निकट सत्संग भवन, लखनऊ।
सम्पर्क मोबाइल : 9450153307, 7906541336

दिनांक 07 दिसम्बर 2024 को जारी।

- बिजली का निजीकरण संविधान की भावना के विरूद्ध
- राष्ट्रीय व नागरिक हितों के लिए निजीकरण का फैसला वापस ले सरकार

आम जनता से अपील

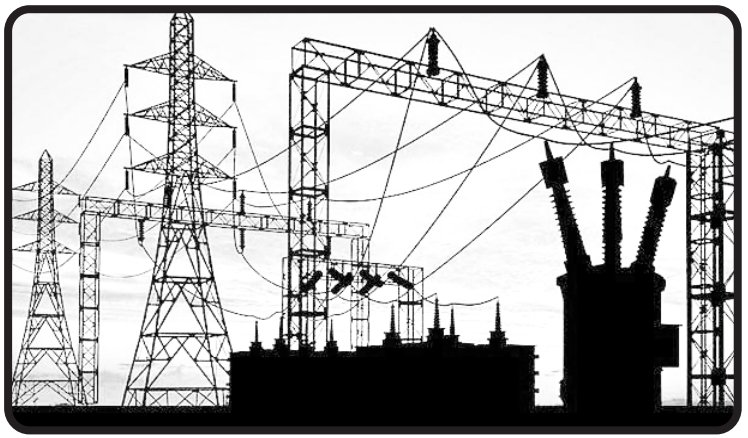

ऑल इण्डिया पीपुल्स फ्रण्ट

(उत्तर प्रदेश)

साथियो,

विगत दिनों यू. पी. पावर कारपोरेशन ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को 3 भाग में और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम को 2 भाग में बांटकर निजी क्षेत्र को देने का फैसला किया है। इस निजीकरण के फैसले पर सरकार व पावर कारपोरेशन द्वारा दिए गए तर्क पूर्णतया भ्रामक है। सरकार का यह कहना है कि बिजली विभाग में बढ़ रहे घाटे के कारण ऐसा करना जरूरी हो गया है। क्योंकि सरकार को लगातार अतिरिक्त पैसा विद्युत वितरण निगम को देना पड़ रहा है, जो बजट पर अतिरिक्त भार है। जबकि सच्चाई यह है कि इस समय पावर कारपोरेशन का कुल घाटा 1 लाख 18 हजार करोड़ है वहीं बकाया 2023–24 के अनुसार 1 लाख 15 हजार करोड़ रूपए है, जो इस वित्तीय वर्ष में तो और भी ज्यादा हो जायेगा। विद्युत उपभोक्ता परिषद् के अनुसार इसमें बड़ा बकाया सरकार, प्रशासन और बड़े कारोबारियों का है। यदि सरकार अपना बकाया पावर कारपोरेशन को दे दें और बड़े कारोबारियों से कड़ाई से वसूली करें तो पावर कारपोरेशन मुनाफे में आ जायेगा।

सरकार द्वारा विद्युत घाटे के कारण बजट पर अतिरिक्त बोझ की बात भी सही नहीं है। सच यह है कि इस वर्ष सरकार ने 46130 करोड़ रूपए पावर कारपोरेशन को दिया है जिसमें 20 हजार करोड़ रूपया सब्सिडी का है। जिसे विद्युत कानून 2003 के तहत देना सरकार की सामाजिक जिम्मेदारी है। इतना ही नहीं प्रदेश में उलटी अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। प्रदेश में 1 रूपए प्रति यूनिट में जल विद्युत गृह, 4.28 रूपए में सरकारी तापीय परियोजनाओं, 4.78 रूपए प्रति यूनिट एनटीपीसी में बिजली का उत्पादन होता है। इन संस्थानों में थर्मल बैकिंग करा कर यानी उत्पादन रोक कर शार्ट टर्म एग्रीमेंट के नाम पर निजी क्षेत्र से 7.50 रूपए से लेकर 19 रूपए प्रति यूनिट तक बिजली की खरीद होती है। विद्युत विभाग के घाटे का एक बड़ा कारण कारपोरेट मुनाफे की यह अर्थनीति है।

विद्युत विभाग के आला अधिकारियों का अखबार में दिया गया यह बयान कि इस निजीकरण में उपभोक्ताओं, बिजली कर्मचारियों और स्टेक होल्डरों के सभी हित सुरक्षित रहेंगे, आंखों में धूल झोकना है। देश में जहां भी निजी क्षेत्र बिजली दे रहा है वहां महंगी बिजली खरीदने के लिए उपभोक्ताओं को मजबूर होना पड़ा है। मुंबई में टाटा पावर द्वारा दी जा रही बिजली का रेट 1 अप्रैल 2024 के अनुसार एक बड़ा कारण कारपोरेट मुनाफे की यह अर्थनीति है। 100 यूनिट तक 5.33 रूपए, 101 से 300 यूनिट तक 8.51 रूपए, 301 से 500 यूनिट तक 14.77 रूपए और 500 यूनिट से ज्यादा पर 15.71 रूपए है। जबकि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन में 100 यूनिट तक 3.35 रूपए, 101 से 150 300 से ज्यादा यूनिट पर 5.50 रूपए है। यहीं नहीं टाटा पावर द्वारा मुंबई में बिजली की फलैक्सी टैरिफ व्यवस्था है यानी अलग–अलग समयों के लिए बिजली के भिन्न–भिन्न रेट हैं। उत्तर प्रदेश में भी निजीकरण के बाद आम आदमी को अत्यधिक महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा और किसानों, गरीबों को मिल रही सस्ती बिजली उनसे छीन ली जायेगी।

जहां तक कर्मचारियों के हितों की बात है। इस समय पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता,सहायक अभियंता, अवर अभियंता, तकनीशियन, लिपिक व अन्य कर्मचारी और संविदा श्रमिक मिलाकर करीब 75 हजार से ज्यादा कर्मी कार्यरत हैं। इसमें संविदा श्रमिकों को तो सीधे काम से निकाल दिया जायेगा। दिल्ली और उडीसा में हुए निजीकरण के प्रयोग में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को काम से हाथ धोना पड़ा है। सरकार ने खुद कर्मचारियों को तीन प्रस्ताव दिए हैं। पहला उसी स्थान पर बने रहें, दूसरा अन्य डिस्काम में चले जाए और तीसरा आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) स्वीकार कर लें। इस निजीकरण से बेरोजगारी और बढ़ेगी और संविधान प्रदत्त आरक्षण खत्म हो जायेगा। साफ है कि कर्मचारियों–मजदूरों के हित बुरी तरह प्रभावित होंगे।

सरकार ने यह भी कहा कि निजीकरण से लाइन हानियों को कंट्रोल किया जायेगा। देश में निजी क्षेत्र द्वारा दी जा रही बिजली में लाइन हानियां ज्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार उडीसा मे रिलांयस द्वारा 2015 तक दी गई बिजली में 47 प्रतिशत लाइन हानि थी। 2020 से वहां टाटा पावर द्वारा दी जा रही बिजली में सदर्न एरिया में 31.3 प्रतिशत, वेर्स्टन एरिया में 20.5 प्रतिशत और सेन्ट्रल एरिया में 22.6 प्रतिशत बिजली हानि है। जबकि यूपी पावर कारपोरेशन में कुल लाइन हानि महज 19 प्रतिशत ही है।

दरअसल निजीकरण के जरिए सरकार सरकारी सम्पत्ति की लूट को भी अंजाम दे रही है। बिजली कर्मियों के अनुसार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम में पुनर्विकसित वितरण क्षेत्र सुधार योजना (आरडीएसएस) में 42968 करोड़ रूपए के सरकारी काम चल रहे हैं। साथ ही बजनेस प्लान के तहत पूर्वांचल में 1204 करोड़ रूपए और दक्षिणांचल में 1190 करोड़ रूपए के काम चल रहे है। सरकारी खजाने में जमा जनता की इतनी बड़ी धनराशि को मुफ्त में निजी क्षेत्र को दे दिया जायेगा। इस तरह की लूट नई नहीं है। पूर्व में आगरा के बिजली वितरण को गुजरात की टोरंट पावर को देने में सैकड़ों करोड़ रूपए के सरकार को नुकसान की बात सीएजी रिपोर्ट में प्रमाणित हुई थी।

वैसे देखें तो देश में भाजपा की सरकार जब–जब आती है तो बिजली क्षेत्र का निजीकरण तेज हो जाता है। सबको याद होगा ही कि 13 दिन की अटल बिहारी सरकार ने एनरॉन के साथ बिजली का समझौता किया था जहां राष्ट्रीय हितों को दांव पर लगा दिया गया था। बिना बिजली दिए हुए ही महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों रुपए देने पड़े थे और जिसे बाद में रद्द किया गया। उत्तर प्रदेश बिजली बोर्ड का बंटवारा भी भाजपा राज में ही हुआ। बिजली के निजीकरण और कॉर्पोरेट मुनाफे का रास्ता खोलने वाला विद्युत कानून 2003 भाजपा राज में आया। अब मोदी सरकार विद्युत संशोधन विधेयक 2022 लेकर आई है। जिसमें सब्सिडी और क्रास सब्सिडी की व्यवस्था खत्म कर दी जायेगी यानी किसानों को जो अभी सिंचाई व कृषि कार्य के लिए सस्ती बिजली मिलती है, उसे भी